UPSI060012372022

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०), सीतापुर

पीठासीन अधिकारी– आशालिका पाण्डेय (उ०प्र० न्यायिक सेवा) – UP02461

C.I.S. NO: 212/2022

प्रकीर्ण वाद संख्या–22/2022

Arvind Kumar Mehrotra and others Vs. Smt. Urmila Devi and others

दिनांक:–13.07.2023

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली प्रार्थना पत्र 3ग निस्तारण हेतु नियत है।

प्रार्थना पत्र 3ग वास्ते बाजदायर अन्तर्गत आदेश–21 नियम –106 सी०पी०सी० मय शपथ पत्र 4ग2 प्रार्थीगण/डिक्रीदारान द्वारा प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि उपरोक्त इजराय दिनांक –20.09.2022 को वास्ते सुनवायी नियत थी उपरोक्त इजराय में विपक्षीगण के अधिवक्ता को नोटिस प्रेषित किये जाने का आदेश न्यायालय द्वारा दिया गया था। मदयूनान उपरोक्त इजराय में हाजिर अदालत नहीं आ रहे हैं उपरोक्त तिथि 20.09.2022 को डिक्रीदार की तरफ से पैरवी हेतु पैरोकार आशीष मेहरोत्रा को हाजिर अदालत आना था किन्तु आशीष मेहरोत्रा की माताजी का देहान्त हो गया था और जिसका हवन कार्यक्रम दिनांक–20.09.2022 को हुआ था जिसकी समाप्ति देरी से हुई जिसके कारण वह अदालत कुछ देर से पहुंचा और इसी मध्य श्रीमानजी द्वारा पुकार कराकर डिक्रीदार की अनुपस्थिति के कारण इजराय प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया गया। डिक्रीदार उपरोक्त इजराय नेकनियती से चलाना चाहते हैं यदि मौजूदा प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए मूल इजराय प्रार्थना पत्र अपने मूल नम्बर पर बदस्तूर दर्ज न कीय गयी तो मुझ डिक्रीदार को असीम क्षति पहुंचेगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी दशा में सम्भव न हो सकेगी। अतः डिक्रीदार/प्रार्थीगण का बाजदायर प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए दिनांक–20.09.2022 का आदेश रिकाल फरमाने और आदेश दिनांकित–20.09.2022 को रिकाल करते हुए इजराय को मूल नम्बर पर दर्ज किये जाने का आदेश पारित किये जाने की याचना की गई है।

मदयूनान द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है।

सुना व मूल पत्रावली का अवलोकन किया।

मूल पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि इजराय वाद सं०–07/1998 दिनांक–20.09.2022 को पक्षकारों की अनुपस्थिति निरस्त किया गया था। प्रार्थीगण द्वारा कथन किया गया है कि उपरोक्त तिथि 20.09.2022 को डिक्रीदार की तरफ से पैरवी हेतु पैरोकार आशीष मेहरोत्रा को हाजिर अदालत आना था किन्तु आशीष मेहरोत्रा की माताजी का देहान्त हो गया था और जिसका हवन कार्यक्रम दिनांक–20.09.2022 को हुआ था जिसकी समाप्ति देरी से हुई जिसके कारण वह अदालत कुछ देर से पहुंचा और इसी मध्य श्रीमानजी द्वारा पुकार कराकर डिक्रीदार की अनुपस्थिति के कारण इजराय प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया गया। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि वाद का निस्तारण गुण–दोष के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः प्रार्थना पत्र 3ग हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र 3ग वास्ते बाजदायर अन्तर्गत आदेश–21 नियम –106 सी०पी०सी० रुपये 200/–हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। तदनुसार प्रकीर्ण वाद पत्रवाली निस्तारित की जाती है। मूल पत्रावली वास्ते सुनवाई दिनांक–27.07.2023 को पेश हो।

(Ashalika Pandey)
Civil Judge Junior Division
Sitapur
JO CODE:UP02461

आकांक्षा/-

UPSI060012372022

Digitally signed by ASHALIKA PANDEY
Date: 2023.07.13 16:53:26 IST
Reason: Order
Location: Civil Judge Junior Division, Sitapur